न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 54 / 2017

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जोधपुर।		1. श्री देवेन्द्रनसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह (विक्रेता एवं मालिक) फर्म :– मै. देव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, 26 जेड एस बी बीजेएस कोलोनी, आरटीओ रोड़, जोधपुर। नि. प्लॉट नं. 95 न्यू रूप नगर, बाबा रामदेव ट्यूबवेल के सामने, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर। 2. श्रीमती गीता कंवर (मालिक), मै. महेश एण्टरप्राइजेज अपोजिट गारमेण्ट डिस्पेनसरी, पुरानी बस्ती, सुतला जोधपुर 342008, निवासी गजानंद कॉलोनी सूतला जोधपुर, राजस्थान।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार **दिनांक 26.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स देव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, 26 जेड़ एस बी बीजेएस कॉलोनी आरटीओ रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान बेसन (ओम किशन) के 500 ग्राम के 20 पैकेट** आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त बेसन (ओम किशन) के 4 पैकेट 500 ग्राम के वास्ते जांच मिलावट / अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के बाजार भाव रूपये 280 / – नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है।
2. खरीदशुदा बेसन (ओम किशन) के चारों पैकेट पर लगाने हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर एडी–489 खाद्य पदार्थ का विवरण एव नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एडी–489 हस्ताक्षर युक्त अभिहित अधिकारी की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एडी–489 सील चपडी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
3. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा को साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि बेसन (ओम किशन) की चारों पैकेट के चारों नमूनों को अलग–अलग 2–2 भागों में एडी–489 की जॉच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जॉच रिपोर्ट एलएस 1334 / एक्ट / 2016 / 1385 दिनांक 25.11.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेशन की कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एडी–489 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

अप्रार्थीगण से नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया की बेसन (ओम किशन) पीसने की चक्की खराब होने के कारण किसी अन्य यहाँ बेसन की पीसाई करवाई गई थी। इसलिये यह अमानक स्तर का हो गया इसकी जानकारी अप्रार्थीगण को नहीं थी। अतः भविष्य में इस प्रकार की पुनरावर्ती नही होगी। प्रकार अप्रार्थी ने अपनी गलती स्वीकार की एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। एफएसओ की रिपोर्ट का अवलोकन किया। मनन के पश्चात पाया की अप्रार्थी ने प्रकरण में अपना दोष स्वीकार कर लिया है। अतः वह खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 52 का दोषी पाया जाता हैं। अतः अप्रार्थीगण पर शास्ती रूपये 8000 अक्षरे रूपये आठ हजार मात्र की आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 15/11/17 के एक माह के अंदर-अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 15/11/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
दिनांक 15/11/2017

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर

क्रमांकः- न्यायिक / कोर्ट / 2017 / 2323 - 2326

प्रतिलिपीः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री राजेश टीकर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन-जोधपुर।
03. श्री देवेन्द्रनसिंह पुत्र श्री सुमेरसिंह (विक्रेता एवं मालिक) फर्म :- मै. देव किराणा एण्ड जनरल स्टोर, 26 जेड एस बी बीजेएस कोलोनी, आरटीओ रोड, जोधपुर। नि. प्लॉट नं. 95 न्यू रूप नगर, बाबा रामदेव ट्यूबवेल के सामने, बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर।
04. श्रीमती गीता कंवर (मालिक), मै. महेश एण्टरप्राइजेज अपोजिट गारमेण्ट डिस्पेनसरी, पुरानी बस्ती, सुतला जोधपुर 342008, निवासी गजानंद कॉलोनी सूतला जोधपुर, राजस्थान।

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला
मजिस्ट्रेट (शहर) जोधपुर